खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार

प्रेस रिलिज

पटना, दिनांक– 31.07.2024

बिहार सरकार अब घर बैठे आमजनों को पहुँचवाएगी बालू।।

अब घर बनाना हुआ आसान। मोबाईल से ही कर सकेंगें ऑर्डर।

- बिहार राज्यान्तगत आमजन को सुगम एवं पारदर्शी माध्यम से बालू, गिट्टी एवं अन्य लघु खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा ''बालू मित्र'' पोर्टल विकसित किया जा रहा है। उक्त पोर्टल के माध्यम से इच्छुक कोई भो व्यक्ति बालू का ऑनलाईन क्रय घर बैठे ही कर सकता है। क्रेता द्वारा बालू क्रय के बाद बालू की होम डिलीवरी भी सुनिश्चित होगी।
- श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्य मंत्री, बिहार सरकार द्वारा बताया गया कि सरकार आमजनों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता का बालू उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने के लिए बालू मित्र पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल को संचालित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0 को प्राधिकृत किया गया है।
- बालू मित्र पोर्टल पर सभी बालूघाट बंदोबस्तधारी एवं बालू बेचने वाले अनुज्ञप्तिधारी निबंधित रहेंगे, जिनक द्वारा बालू का विक्रय दर पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। विक्रय दरों की तुलना कर क्रेता अपने पसंद का बालू आनलाईन ऑर्डर कर सकेंगे। इसी प्रकार ट्रांसपोर्टरों का भी निबंधन एवं वाहन के प्रकार के अनुरूप प्रति कि0मी0 परिवहन किराया बालू मित्र पोर्टल पर दर्ज रहेगा।
- बालू मित्र पोर्टल पर ग्राहकों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना नाम, पता एवं बालू का प्रकार एवं उसकी मात्रा का विवरण प्रविष्ट कर OTP के माध्यम से सत्यापन के पश्चात् ऑर्डर बुक किया जा सकता है। ग्राहक बालू की खरीद सीधे संचालित बालूघाटों या भंडारण अनुज्ञप्तियों से कर सकते हैं। ग्राहकों को उचित मूल्य पर बालू

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑनलाईन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस पोर्टल के लागू होने से कम दाम पर बालू आमजन को उपलब्ध होगा।

- वाहन मालिक भी स्वयं अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन बालू मित्र पोर्टल पर करा सकेंग, इसके लिए वाहन, वाहन मालिक एवं चालक से सबंधित सूचनाएं प्रविष्ट करते हुए OTP के माध्यम से सत्यापित करना होगा।
- ऑर्डर कन्फर्म होने के उपरान्त ग्राहक को वाहन निबंधन संख्या, वाहन मालिक एवं चालक का नाम एवं माबाईल नंबर SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- उचित विक्रेता एवं ट्रांसपोर्टर के चयन के उपरान्त ऑनलाईन भुगतान करके बालू की आपूर्ति हेतु आदेश दिया जा सकता ह। तत्पश्चात् उक्त वाहन से उक्त बालू की मात्रा की होम डिलेवरी की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया विभाग के BSMCL द्वारा संचालित कराया जाएगा।
- ग्राहक तक पहुचने की अवधि तक उक्त वाहनों के आवागमन की मॉनिटरिंग GPS एवं Vehicle Location Tracking System के माध्यम से की जाएगी। ग्राहक स्वयं भी उक्त वाहन के Movement को Track कर सकेंगे। इससे उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया बालू ही उन्हें प्राप्त होगा।
- आम जनता से धोखाधड़ी की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से ऑडर का रिर्टन/कैंसिल करन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी एवं भुगतान की राशि वापस करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
- माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त पोर्टल को विकसित करने के लिए बिहार स्टट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0 द्वारा प्रतिष्ठित कंपनिया के चयन हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। एजेंसी के चयन के उपरान्त अगले दो माह में पुरी व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रस्तावित पोर्टल के अतिरिक्त आमजनो, ट्रांसपोर्टस आदि की सहूलियत के लिए मोबाईल एप भी विकसित किया जायेगा।